निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 81/22
दायरा दिनांकः—27.07.2022
निर्णय दिनांकः— 9.4.24

उनवान

1. चम्पालाल आयु 43 वर्ष आत्मज छोगालाल जाति गाडरी निवासी ग्राम तुर्कीपाडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. नरेश पुत्र बृजमोहन जाति गाडरी निवासी ग्राम तुर्कीपाडा तहसील छबडा जिला बारां

बनाम

1. हजारीलाल आयु 70 वर्ष आत्मज छोगालाल जाति गाडरी निवासी ग्राम तुर्कीपाडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. कालूराम आयु 50 वर्ष आत्मज छोगालाल जाति गाडरी निवासी ग्राम तुर्कीपाडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. राधाकिशन आयु 40 वर्ष आत्मज छोगालाल जाति गाडरी निवासी ग्राम तुर्कीपाडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. रघुवीर आयु 35 वर्ष आत्मज छोगालाल जाति गाडरी निवासी ग्राम तुर्कीपाडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. कैलाश बाई आयु 70 वर्ष पुत्री छोगालाल जाति गाडरी निवासी ग्राम तुर्कीपाडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
6. मन्नी बाई आयु 50 वर्ष पुत्री छोगालाल जाति गाडरी निवासी ग्राम तुर्कीपाडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
7. सुनीता आयु 30 वर्ष पुत्री बृजमोहन जाति गाडरी निवासी ग्राम तुर्कीपाडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
8. रामनाथी आयु 50 वर्ष बेवा बृजमोहन जाति गाडरी निवासी ग्राम तुर्कीपाडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 9.4.24

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री अरविन्द प्रताप सिंह — वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा,53,188 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम तुर्कीपाडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0) [illegible] भूमि खसरा नम्बर 323/1 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा अवस्थित है जो वादीगण तथा प्रतिवादीगण क्रम संख्या 1 ता 8 के शामलाती खातेदारी अर्थात राजस्व रिकार्ड भू अभिलेख जमाबन्दी मे दर्ज चली आ रही है। उक्त वर्णित शामलाती खाते की भूमि मे वादी क्रम संख्या 1 तथा प्रतिवादीगण क्रम संख्या 1 ता 4 का 5/8 हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण क्रम संख्या 5 एवं 6 का हिस्सा 1/4 हिस्सा है एवं वादी क्रम संख्या 2 तथा प्रतिवादीगण क्रम संख्या 7 एवं 8 का 1/8 हिस्सा है। उक्त अनुपात से उक्त भूमि का उपयोग एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.05.23 17:21:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

उपभोग करने के वादीगण तथा प्रतिवादीगण क्रम संख्या 1 ता 8 वैधानिक एवं कानूनी तौर पर अधिकारी है। उक्त वर्णित शामलाती खाते की भूमि का आपसी पारिवारिक विभाजन अर्सा लगभग 20 वर्षो पूर्व हों चुका है आपसी पारिवारिक विभाजन के अनुसार वादी क्रम संख्या 1 अपने हिस्से एवं कब्जे काश्त में प्राप्त हुयी भूमि हिस्सा 1/8 पर इसी प्रकार प्रतिवादी क्रम संख्या 2 अपने हिस्से एवं कब्जे काश्त में हुयी भूमि हिस्सा 1/8 पर इसी प्रकार प्रतिवादी क्रम संख्या 3 अपने हिस्से एवं कब्जे काश्त में प्राप्त हुयी भूमि हिस्सा 1/8 पर इसी प्रकार प्रतिवादी क्रम संख्या 4 अपने हिस्से एवं कब्जे काश्त में प्राप्त हुयी भूमि हिस्सा 1/8 पर तथा प्रतिवादीगण क्रम संख्या 5 एवं 6 अपने हिस्से एवं कब्जे काश्त में प्राप्त हुयी भूमि हिस्सा 1/4 पर इसी प्रकार वादी क्रम संख्या 2 एवं प्रतिवादीगण क्रम संख्या 7 एवं 8 अपने हिस्से एवं कब्जे काश्त में प्राप्त हुयी भूमि हिस्सा 1/8 पर नियमित रूप से अभी तक काबिज है और काश्त करते हुये चले आ रहें है जिसको अर्सा 20 वर्षो का समय हो चुका है वादीगण ने अपने अपने हिस्से की भूमि में मौजुदा समय में फसल मक्का बो रखी है। आपसी पारिवारिक विभाजन के अनुसार आधिपत्य के आधार पर हिस्से एवं कब्जे काश्त में प्राप्त हुयी भूमि का उक्त अनुपात से वादीगण भूमि का विभाजन कराकर विभाजित शुदा भूमि को पृथक पृथक खातेदारी में दर्ज कराकर वादीगण अपने अपने हिस्से की भूमि को सिंचाई के स्त्रोत बढाकर अधिक उपजाउ बनाना चाहते है तथा राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की जा रही कृर्षि से सम्बन्धित योजनाओं से लाभान्वित होना चाहते है।

वादीगण तथा प्रतिवादीगण के मध्य आये दिन होने वाले लडाई झगडो से वादीगण निजात पाना चाहते है उक्त उद्धेश्य की पूर्ति में वादीगण ने प्रतिवादीगण उक्त वर्णित भूमि का विभाजन आपसी पारिवारिक विभाजन के अनुसार हुये आधिपत्य के आधार पर करने एवं भूमि को पृथक पृथक खातेदारी में दर्ज कराने का कई मर्तबा अनुरोध किया किन्तु टालम टुल करते रहे अन्त में दिनांक 26.06.2022 को पुनः अनुरोध करने पर प्रतिवादीगण ने भूमि का विभाजन करने एवं भूमि को पृथक पृथक खातेदारी में दर्ज कराने से कतई इन्कार कर दिया और प्रतिवादी क्रम 4 रघुवीर ने वादीगण के साथ लडाई झगडा कर वादीगण के हिस्से एवं कब्जे काश्त में प्राप्त हुयी भूमि पर जबरन ताकत के बल पर आधिपत्य करने की वादीगण को धमकी दी अतः यही दिनांक 26.06.2022 बिनाय मुखासमत वाद कायम किया जाता है। प्रतिवादी क्रम संख्या 4 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द नही किया गया तो वह जबरन ताकत के बल पर वादीगण के हिस्से एवं कब्जे काश्त में प्राप्त हुयी भूमि पर आधिपत्य कर लेगा। जिसके फलस्वरूप वादीगण को दिगर मुकदमें बाजियों में मशरूफ होकर जेरबार होना पडेगा। और भयंकर रूप से आर्थिक क्षति होगी। जिसकी पूर्ति होना नितांत असम्भव हो जायेगा। अतः वादीगण प्रतिवादी क्रम संख्या 4 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने के वैधानिक एवं कानूनी तौर पर अधिकारी है। वादीगण आपसी पारिवारिक विभाजन के अनुसार आधिपत्य में प्राप्त हुई भूमियों का विभाजन आधिपत्य के आधार पर वाद पत्र की मद नम्बर 3 में वर्णित अनुसार करा कर वादीगण भूमि को पृथक पृथक खातेदारी में दर्ज कराने के भी वैधानिक एवं कानूनी तौर पर अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.05.23 17:21:05 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई वादीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम तुर्कीपाडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 139 पेश की गई साक्ष्य वादी में PW1 चम्पालाल PW2 नरेश के बयान कराये गये।

बहस अभिभाषक वादी एक तरफा सूनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके माल ग्राम तुर्कीपाडा तहसील छबडा में स्थित है जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है वादीगण एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग हिस्सा दर्ज रिकार्ड है वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से एवं कब्जे के आधार पर पृथक पृथक खाता विभाजन कर अलग खाते दर्ज किया जावे। जिसमें वादी उवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का विवाद नही हो सके। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से लगभग 20 वर्ष पूर्व पारिवारिक बटवारां हो चुका है पारिवारिक बटवारें के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपनी अपनी भूमि पर काश्त करते चले आ रहे। वादी द्वारा प्रतिवादीगण से भूमि का बटवारा करने के लिए कई बार निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा कोई ध्यान नही दिया इसलिए वादी को दावा करना पडा वादी का वाद स्वीकार कर वादी का खाता अलग दर्ज किया जावें।

बहस अभिभाषक वादी एक तरफा सूनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम तुर्कीपाडा सम्वत् 2074–77 खाता सं0 139 वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खातेदारी में हिस्सा अनुसार दर्ज रिकार्ड है। इइसे यह साबित होता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा अलग अलग दर्ज है परन्तु शामलाती खातेदारी में दर्ज है। वादीगण अपने हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि को अलग खाते दर्ज कराना चाहतें है प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नही किया प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही हुये। वादीगण आपसी पारिपारिक विभाजन के आधार पर हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पृथक पृथक विभाजन कराकर अलग खाता दर्ज कराना चाहतें है वादी का वाद स्वीकार किकया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम तुर्कीपाडा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 323/1 रकबा 4.01 बीघा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से अनुसार पृथक पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जाता है तदनुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय लिखाया जाकर सर्व इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.05.23 17:21:05 IST
Reason: SelfAttested

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)

उपखण्ड अधिकारी, छबडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

प्राथमिक डिक्री

वाद संख्या 81/2022	धारा 53,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 09.04.2024
समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री अरविन्द प्रताप सिंह–वादी	अभिभाषक प्रतिवादीः–श्री	

वाद शीर्षक

1. चम्पालाल आयु 43 वर्ष आत्मज छोगालाल जाति गाडरी निवासी ग्राम तुर्कीपाडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. नरेश पुत्र बृजमोहन जाति गाडरी निवासी ग्राम तुर्कीपाडा तहसील छबडा जिला बारां

बनाम

1. हजारीलाल आयु 70 वर्ष आत्मज छोगालाल जाति गाडरी निवासी ग्राम तुर्कीपाडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. कालूराम आयु 50 वर्ष आत्मज छोगालाल जाति गाडरी निवासी ग्राम तुर्कीपाडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. राधाकिशन आयु 40 वर्ष आत्मज छोगालाल जाति गाडरी निवासी ग्राम तुर्कीपाडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. रघुवीर आयु 35 वर्ष आत्मज छोगालाल जाति गाडरी निवासी ग्राम तुर्कीपाडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. कैलाश बाई आयु 70 वर्ष पुत्री छोगालाल जाति गाडरी निवासी ग्राम तुर्कीपाडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
6. मन्नी बाई आयु 50 वर्ष पुत्री छोगालाल जाति गाडरी निवासी ग्राम तुर्कीपाडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
7. सुनीता आयु 30 वर्ष पुत्री बृजमोहन जाति गाडरी निवासी ग्राम तुर्कीपाडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
8. रामनाथी आयु 50 वर्ष बेवा बृजमोहन जाति गाडरी निवासी ग्राम तुर्कीपाडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम तुर्कीपाडा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 323/1 रकबा 4.01 बीघा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से अनुसार पृथक पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक.........9.4.24.........को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.05.23 17:21:05 IST
Reason: SelfAttested

व्ययानु[illegible]

क्र.सं.	व्यय मद		प्रतिवादी
1.	वादपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		